न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./4577/2001/धौलपुर

मु0 केशवदेव फरसवाली पुत्र गिर्राज किशोर जाति ब्राह्मण निवासी सोराजी जिला एटा उत्तर प्रदेश।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. दीनानाथ) पिसरान बालमुकन्द अकवाम वैश्य साकिन ग्राम
2. प्रकाशचन्द) डरूपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
3. मुन्नालाल)

4. सीयाराम) पिसरान रामसिंह अकवाम ब्राह्मण निवासी
5. शिवनारायन) ग्राम डरूपुरा तहसील व जिला धौलपुर।
6. रामनाथ)
7. सुरेश)

8. मोरमुकुट) पिसरान चन्द्रसहाय अकवाम ब्राह्मण फरसवाले
9. परमहंस) निवासी सोरोजी जिला एटा उत्तरप्रदेश

10. राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थिति :–

1. श्री यज्ञदत्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री अजयपाल डिढारिया एवं श्री श्रीनिवास बेनीवाल एवं श्री विनोद भार्गव, विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः16/01/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 02/97, बउनवान केशवदेव बनाम दीनानाथ में पारित निर्णय दिनांक 18–5–2001 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), धौलपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि– ''स्व0 नेकसे पुत्र राधावल्लभ कौम ब्राहम्ण निवासी सोराजी गंगा पुरोहित विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 194 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नंबर 272 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा संख्या 207 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नंबर 274 वाके ग्राम डरूपुरा तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार थे, जिनके दो पुत्र किशनलाल व मूलचन्द उर्फ रामप्रकाश हुए। दोनों ही बिना पत्नि तथा लाऔलाद फोत हुए थे। स्व0 नेकसे और उनके पिता राधावल्लभ और उनके पिता शिवलाल यजमानी का कार्य करते थे। उन्हें उपुर्यक्त वर्णित विवादित आराजी भेंट स्वरूप यजमानी में प्राप्त हुई थी जिसकी काश्त का प्रबन्ध समय समय पर दीगर लोगों से करवाया जाता था। इसी प्रकार किशनलाल व मूलचन्द पुत्र नेकसे अपनी हयातपर्यन्त उक्त आराजीायात की काश्त का प्रबन्ध उपरोक्त प्रकार से करते रहे। मूलचन्द उर्फ रामप्रकाश को रूपयों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्होंने अपनी पण्डागिरी वहीं बाबत वृत यजमानी विल एवज मुबलिग 550/– रूपये में श्री गिर्राज (हाल अपीलार्थी/वादी के पिता) तथा परमंस व मोरमुकेट पिसरान चन्द्रसहाय के पक्ष में ग्राम रहसेना, डरूपुरा, डभेरा, चैना का पुरा, अन्तरोली, पथरोली, महूरी, पुरेनी गांव की फरोख्त कर दी। इस सम्बन्ध में दिनांक 14–7–56 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर व तकमील करा दिया, तभी से उपरोक्त गांव की वृत्ति यजमानी वसमूल आराजियात काश्त मुन्दर्जे वादी एवं परमहंस और मोरमुकुट उपयोग व उपभोग करते रहे। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी परमहंस व मोरमुकुट उपरोक्त किशनलाल, मूलचन्द उर्फ रामप्रकाश के व उनके पिता स्व0 नेकसे के एजेन्ट में से है इसलिए उपरोक्त आराजियात के हकूक विरासतन बहैसियत बजेनट वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी परमहंस व मोरमुकुट पर प्रकान्त हो चुके है। चूंकि गिर्राज किशोर का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए वादी एक मात्र उनका कायम मुकामान है। अतः विवादित आराजियात के वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण परमहंस व मोमुकुट खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने एक वाद सहायक कलक्टर धौलपुर के समक्ष उपरोक्त

आराजियात के इस्तकरारहक इत्यादि का यह कहकर प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजियात उनको नेकसे से किशमी काश्त पर प्राप्त हुई है। मूलचन्द दावा करने से बहुत समय पूर्व ही फोत हो चुका था और किशनलाल की ओर से कोई वकील खड़ा करके फर्जी वकालतनामा व जवाब दावा पर दस्तख्वत किशनलाल बना कर प्रस्तुत कर दिया और वाद में प्रतिवादी की साक्ष्य के समय इकतरफा कराकर फ्राड और मिस–रिप्रिन्जेन्टेशन से इकरतरफा डिक्री हासिल कर ली गई थी तथा कागजात में अमल दरामद करा कर प्रतिवादी सं0 4 से 7 को विक्रय करके उनके नाम भी कागजात में चढ़वा लिये जबकि किशनलाल कभी भी मुकदमा लड़ने नहीं आया और ना ही वकालतनामा व जवाब दावा पर उसने हस्ताक्षर किये। यहां तक कि उसे दावा पेश करने की जानकारी भी नहीं थी। किशनलाल, मूलचन्द उर्फ रामप्रकाश के स्वर्गवासी हो जाने से वादी एवं प्रतिवादी परमहंस व मोरमुकुट ही एजेन्ट्स रह गये हैं। जब वादी डरूपुरा में रबी की फसल के इन्तजाम के लिए आया तो उपरोक्त सारा भेद मालूम हुआ जिसमें वादी एवं प्रतिवादी परमहंस व मोरमुकुट के हकूकों पर कुठाराघात हुआ है। अतः वादी व प्रतिवादी परमहंस व मोरमुकुट को अपने हकूकों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। परमहंस व मोरमुकुट को तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 1 से 3 के कोई हकूक आराजियात मुतदाविया में हासिल नहीं रहे है तथा न ही प्रतिवादी सं0 4 से 7 को भी कोई हक प्राप्त होते है। अतः फ्राड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से हासिल डिक्री निरस्त योग्य है। प्रतिवादी सं0 1 से 7 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी परमहंस एवं मोरमुकुट को वादग्रस्त आराजियात के उपयोग व उपभोग करने से वंचित करने की धमकी दी जा रही है। प्रतिवादी द्वारा मु0 नं0 231/86 उनवानी दीनानाथ बनाम मूलचन्द से डिक्री हासिल करने से वादी एवं प्रतिवादी सं0 8 व 9 को वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित करने की धमकी देने से ही वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से सहायक कलक्टर, धौलपुर से प्राप्त डिक्री 28–11–87 को मन्सूख किया जावे। प्रतिवादी सं0 8 एवं 9 एवं 10 द्वारा उपस्थित नहीं होने से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 1 से 7 द्वारा अपना जवाबदावा पेश करते वादपत्र को

खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। योग्य विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम करते हुए बाद साक्ष्य अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–6–91 द्वारा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज कर दिया।

3– उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी वादी ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे योग्य अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–5–2001 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दी गई। योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4– हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने तनकी सं0 2 इस प्रकार कायम की है कि ''आया मूलचन्द ने विवादित आराजी सहित समस्त जिजमानी गिर्राज किशोर (पिता वादी) तथा परमहंस व मोरमुकुट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुंतकिल कर दी।'' परीक्षण न्यायालय ने उक्त रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14–7–56 से तनकी सं0–2 अपीलार्थी के पक्ष में साबित होने के बावजूद उसके विरूद्ध तय की है, जो विधि के सर्वथा विपरीत है। नेकसे के दोनो पुत्र मूलचन्द व किशनलाल बिना पत्नी लाऔलाद फोत हुए। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी मोरमुकुट व परमहंस, स्व0 नेकसे के पूर्वज परिवार के सदस्य हैं एवं नेकसे की आराजी के अधिकारी हैं तथा वक्त बेचान दिनांक 14–7–56 से वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। इससे स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी सं0 3 एवं 5 वादी ने अपने पक्ष में सिद्ध कर दी थी। उनका कथन है कि पूर्व दावा पेश करने से पूर्व मूलचन्द मर चुका था। किशनलाल की फर्जी तामील करवाकर वाद पेश किया गया था, फिर भी प्रतिवादी दीनानाथ ने किशनलाल एवं मूलचन्द के खिलाफ जो डिक्री हासिल की है, वह प्रभाव–शून्य है। उनका कथन है कि स्वयं अपीलार्थी अपने आपको नेकसे का वारिस बताते हैं। ऐसे में वादग्रस्त आराजी चाहे पैतृक हो या जजमानी से प्राप्त हो, इसका दावे पर कोई असर नहीं पड़ता है। उक्त तथ्यों को दरकिनार रखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के

तथ्यों को समझे बिना अपना निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी के खातेदार नेकसे द्वारा संवत 2010 में विवादित आराजी शिकमी काश्त पर प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पिता बालमुकन्द को इस शर्त पर दी थी कि लगान अदा करते रहें तथा काश्त करते रहें। संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय वह वादग्रस्त आराजी पर लगातार कायम था, जिससे बालमुकन्द उक्त आराजी पर बहैसियत शिकमी काश्तकार दर्ज होने से खातेदार दर्ज हो गया। संवत 2040 में बालमुकन्द के मृत्युपरान्त प्रत्यर्थी सं0–1 से 3 कायम मुकाम होने के कारण खातेदार हो गये थे। अपीलार्थी स्वयं को मूलचन्द व किशनलाल का वारिस बताकर आया है। किशनलाल व मूलचन्द नेकसे के पुत्र थे, दोनों बिना पत्नि लाऔलाद फोत हो गये। अपीलार्थी स्वयं को मूलचन्द व किशनलाल का वारिस बताकर आया है। मूलचन्द ने पूर्व दावे को कन्टेस्ट किया था तथा जवाबदावा पेश किया था। बयनामा जो जिजमानी का था, वह मूलचन्द व किशनलाल द्वारा तैयार किया गया था। पूर्व दावे में पारित डिक्री के समय मूलचन्द जीवित था। वादग्रस्त आराजी पर बरवक्त दावा दायरी अपीलार्थी या किशनलाल व मूलचन्द काबिज नहीं थे। वादी अपीलार्थी द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था, जिसे योग्य परीक्षण न्यायालय ने वाद सिद्ध नहीं होने के आधार पर खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी परीक्षण न्यायालय के निर्णय एव डिक्री की पुष्टि की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। अतएव अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

6– हमनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवालोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वादी द्वारा विवादित आराजियात की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर योग्य परीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कुल सात तनकीयात कायम की गई, जिस पर वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 केशवदेव तथा पी.ड. 2 भगवानसिंह, पी.ड. 3

द्वारिका प्रसाद व पी.ड. 4 परमहंस के बयान लेखबद्ध करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में बयनामा, नकल जमाबंदी संवत् 2018–21 ग्राम डरूपुरा, नकल जमाबंदी संवत् 2043–46 ग्राम डरूपुरा पेश की गई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.ड. 1 दीनानाथ व डी.ड. 2 गोपाल नारायण के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 नकल दावा दीनानाथ बनाम मूलचन्द, प्रदर्श डी–2 नकल जवाब दावा दीनानाथ बनाम मूलचन्द, प्रदर्श डी–3 नकल सम्मन मूलचन्द तथा प्रदर्श डी–4 से 6 खसरा गिरदावरी स्लीप एवं प्रदर्श डी– 7 से 21 लगान की रसीदें पेश कर प्रदर्शित करवाई गई। तत्पश्चात् योग्य परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निर्णय पारित किया। तनकी संख्या–1 के अनुसार वादी अपीलार्थी को यह साबित करना था कि विवादित आराजी नेकसे को किसी व्यक्ति ने जजमानी में भेंट की थी, किन्तु वादी अपीलार्थी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाया है, जबकि स्वयं वादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसे नहीं मालूम कि नेकसे के पास यह जमीन कहां से आई। मात्र पण्डागिरी का कार्य करने से यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी नेकसे को भेंट या दान में मिली हो। वादी अपीलार्थी इस संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं कर पाया, जिसके अभाव में तनकी संख्या–1 वादी के विरूद्ध तय की गई। इस प्रकार तनकी संख्या–2 को सिद्ध करने हेतु अपीलार्थी वादी द्वारा बयनामा प्रदर्श पी–1 पेश किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने विवादित आराजी को किशनलाल व मूलचन्द से बयनामा दिनांक 14–7–56 से क्रय किया जाना बताया, जबकि बयनामा से स्पष्ट है कि उक्त बयनामा पण्डागिरी वृत्ति जजमानी का है, जिसमें वादग्रस्त आराजी का कोई विवरण अंकित नहीं है तथा बयनामा उत्तरप्रदेश में किया गया है, जबकि विवादित आराजी धौलपुर से संबंधित है। भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार बयनामा धौलपुर तहसील में ही संबंधित उपपंजीयक के समक्ष करवाया जाना था। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी को अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया हो। अपीलार्थी वादीगण द्वारा बयनामा को साक्ष्यों से सिद्ध नहीं कराया गया है, जबकि परमहंस पी.ड. 4 जो स्वयं कथित बयनामा में क्रेता है, अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कथन करता है कि वह ना तो

यह जानता है कि कितने पैसे दिये थे, बयनामा के वक्त कौन–कौन मौजूद थे उसे नहीं पता व ना ही कब्जे के बारे में मालूम है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण तनकी को भी अपीलार्थी वादी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है तथा इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तनकी संख्या–4 को भी वादी अपीलार्थी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है, जिसके अनुसार उसे यह साबित करना आवश्यक था कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हक में व उनवानी प्रकरण दीनानाथ बनाम मूलचन्द में पारित डिक्री फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर प्राप्त की थी, जबकि स्वयं अपीलार्थी वादी द्वारा दावें में और बयानों में किये गये कथनों में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। मूलचन्द की मृत्यु के बारे में भी अपीलार्थी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य से भी स्पष्ट नहीं किया है। जबकि पूर्व दावे की नकल व जवाब दावे की नकल से स्पष्ट है कि मूलचन्द द्वारा जवाबदावा पेश कर दावे को कन्टेस्ट किया है। उसके बाद ही दावा डिक्री हुआ है, इसलिये इस दावे को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेन्टेशन नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादी अपीलार्थी उक्त तीनों महत्वपूर्ण तनकीयों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या–3 व 5 भी साबित नहीं कर पाया। चूंकि विवादित आराजी में अपीलार्थी वादी का कोई हक व स्वत्व नहीं है। पूर्व दावे में शिकमी के आधार पर प्रत्यर्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, जिसकी कोई अपील नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में प्रदर्श डी–4 लगायत 21 पेश कर अपने कथनों को पुष्ट किया है, जिसके कारण उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हुई है।

7– उपरोक्त विवेचनानुसार एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में योग्य विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी अपीलार्थी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया है, जिसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को भी योग्य अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–05–2001 द्वारा सारहीन होना मानते हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–1991 को यथावत् रखा है। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके समक्ष उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के साक्ष्यिक महत्व के अनुरूप ही अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है तथा इसी प्रकार अपीलीय

न्यायालय द्वारा भी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप ही विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें उपर्युक्त विवेचनानुसार ऐसी कोई तथ्य या विधि संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य